FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

मुकदमा ______ नं. ______ सन् ______

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/06/24	पत्रावली पेश। प्रा. पत्र का विगत 09 वर्षों से लंबित रहना न्यायोचित नहीं है। आज ही summon पेश हो। अधि. प्रार्थी उप./ summon पेश करने हेतु अवसर चाहते हैं। अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 10/06/24 को पेश हो। Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जोधपुर	
10/6/24	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इत्तला होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 21/6/24 को पेश हो।	
21/06/24	पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 04/12/20 के अनुसार अप्रार्थी सं. 01 ता 04 का जवाब पेश अप्रार्थी सं. 05 ता 07 को जवाब हेतु अनेक अवसर दिये जा चुके हैं, जवाब बंद किया जाता है। प्रा. पत्र विगत 09 वर्षों से लंबित है, जो न्यायसंगत नहीं है। अतः merit के आधार पर प्रा. पत्र का निस्तारण किया जाना है। मुताबिक प्रार्थी - " गाँव दांतीवाड़ा, ख. सं. 600/5 भूमि प्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थी सं. 01 ता 03 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में ख. सं. 600/5 में अपना 1/4 हि., ख. सं. 176, 232, 12, 600/4, 598, 599 में अपना समस्त हिस्सा दिनांक 23/07/97 को प्रार्थी के पक्ष में वसीयत कर दिया। किंतु प्रार्थी के पिता के देहांत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पश्चात वसीयत को छुपाते हुए फौतगी m. no. 828 वर्ष 2007 में समस्त वारिसान के नाम दर्ज करवा लिया। अप्रार्थीगण विवादित भूमि का बेचान करना चाहते हैं। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे ताफैसला मूलवाद विवादित भूमि के मौका एवं record की यथास्थिति बनाए रखें।"
	मुताबिक जवाब अप्रार्थी सं. 01 ता 04- "अप्रार्थीगण को वसीयत के संबंध में जानकारी नहीं थी। वसीयत कानूनी रूप से शून्य है क्योंकि राधाकिशन का हि. का mutation नहीं भरा गया था। दावा पिता की मृत्यु के 07 वर्ष बाद पेश किया गया है, अतः म्याद बाहर है। अतः प्रा.पत्र खारिज फरमाया जावे।"
	उपरोक्त तथ्यों, ~~व~~ दस्तावेजों के आधार पर प्रा. पत्र का निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है- " प्रार्थी द्वारा प्रा. पत्र में वसीयतनामा जिक्र किया गया है, किंतु इससे संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। प्रा. पत्र अस्वीकार किया जाता है। आदेश पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।
	Priyanka सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर (मुहर: सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा.ट्रे.) जोधपुर, सत्यमेव जयते)